

कार्यालय	मुख्य	अग्निशमन	अधिकारी	एटा
पत्रांक : ५६ वि०-०२/ सी०एफ०ओ०	सेवा में,			दिनांक - २३-१२-२००९
विषय:-	सचिव सी०एस० महाविद्यालय हरचन्दपुर खुर्द एटा मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका सं० 483/2004 अवनीश मल्होत्रा बनाम यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दि० 13.04.2009 के अनुपालन में प्रदेश के स्कूलों/कालेजों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।			
संदर्भ:-	सी०एस० महाविद्यालय हरचन्दपुर खुर्द एटा के अग्निशमन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।			

कृपया सचिव उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा (7) अनुभाग का शासनादेश सं०-1801/15-7-09-1 (124)/दिनांक 20.07.2009 के प्रारूप अग्निशमन सम्बन्धी निर्धारित 18 विन्दुओं पर अग्निशमन अधिकारी एटा के स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक 20.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय का कुल क्षेत्रफल 15440 वर्गमीटर है जिसमें भूतल का निर्मित कर्वड ऐरिया 3923 वर्गमीटर है मे अंकित तथ्यों तथा सम्बन्धित स्कूल भवन के मानचित्रों का अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिशीलन किया गया। निर्धारित प्रारूप में अंकित विन्दुओं के परस्पर निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये हैं।

1. क-पहुँच मार्ग 12 मीटर चौड़ी हरचन्दपुर - रजकोट रोड पर स्थित है जहाँ फायर सर्विस के वाहन आसानी से आ जा सकते हैं।  
ख- प्रवेश मार्ग 4.5 मीटर उपलब्ध है।
2. अग्निशमन कार्य हेतु पानी की स्थाई टंकी/भूमिगत/टैरिस टैंक-वांछित नहीं है।
3. स्वचालित स्प्रिंकलर व्यवस्था - वांछित नहीं है।
4. फर्स्ट एड हौज रील - वांछित नहीं है।
5. कम्पार्टमैन्टेशन - वांछित नहीं है।
6. आई०एस०आई० अग्निशामक - आईएस-2190 के अनुसार आई०एस०आई० मार्क उपकरण स्थापित किये गये हैं।
7. स्वचालित अग्नि संसूचक व चेतावनी पद्धति - वांछित नहीं है।
8. निवास मार्ग प्रदीप्त संकेत चिन्ह: - नियमानुसार स्थापित किय गये।
9. सार्वजनिक भाषण व्यवस्था - उपलब्ध है।
10. विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत - वांछित नहीं है।
11. फायर मैन स्विच, फायर लिफ्ट - वांछित नहीं है।
12. बेट राइजर/डाउन कमर सिस्टम - वांछित नहीं है।
13. सैट बैक अग्रभाग - 9 मीटर।

पाश्व 1:- 6.5 मीटर

पाश्व 1:- 4.5 मीटर

पाश्व :- 4.5 मीटर

- 23/12/2009*  
निकास मार्ग की आवश्यकतायें एवं चाव मार्ग - उपलब्ध है।  
15. फायर ड्रिल कराई गयी।

16. अग्निशमन पद्धति का अनुशारण – उपलब्ध है।
17. अग्निशमन पद्धति के प्रचालन के लिए स्टाफ प्रशिक्षण – स्टाफ को प्रशिक्षण दिलाया गया।
18. निष्क्रमाण योजना एंव ड्रिल की संख्या – तैयार कराते हुऐ ठीक कराई गयी।
19. सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा – नियमानुसार कराया गया।
20. निहित फीस जमा करने के पश्चात अग्निशमन का सावध नवीनीकरण—वांछित नहीं।

**नोट:-** सचिव द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 10.12.2009 के अनुसार स्कूल/कालेज विकास प्राधिकरण, नगर पालिका, टाउन एरिया, विनियमित क्षेत्र की परिधि से बाहर स्थित है। जो शासनादेश संख्या 2688/छ-पु०-०८-२००८ दिनांक 20.11.2008 के द्वारा पहुँच मार्ग, सैटबैक, निकास मार्ग में प्रदत्त छूट की परिधि में नहीं आता है। अतः उपरोक्त विषयगत स्कूल का निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी शर्तों के अधीन अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत किया जाता है।

- 1— वर्तमान में विद्यालय भवन के प्रस्तुत मानचित्र के अतिरिक्त भविष्य में निर्माण करने की दशा में इस विभाग से पुनः अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करना होगा।
- 2— वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना होगा।
- 3— स्कूल की ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान दशा पहु मार्ग, सैटबैक, फायर स्केप व अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं की जायेगी।
- 4— उपरोक्त प्रतिबन्धों के उल्लंघन पर निर्गत अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण—पत्र पर र्खतः निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।



23/12/2009  
 (अजय कुमार गुप्ता)  
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
 एटा

प्रोफार्म-अ  
अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला  
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

क्रम सं. 8307

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है)  
कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद.....खुद.....उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या संख्या ११२०२३ / ११२३  
सेवा में.

दिनांक 12-01-2023

स्वामी / प्रबन्धक

संख्या ११२०२३ महाविद्यालय  
जनपद खुद एवं चलन रखुद रुदा

विषय :- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके प्रार्थना पत्र संख्या ११२ ..... दिनांक ११-०१-२०२३

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध ८

अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शम्भुनादेश संख्या:-1120(1) / आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुरार निर्धारित शुल्क रूपये .....८८८८ ..... गारतीय रेट वैक शाखा मुमुक्षु विद्यालय २५४  
जनपद .....खुद ..... में चालान राख्या .....१३७२२ दिनांक .....११-०१-२०२३ द्वारा जना कराया गया। प्राप्ति रसोद प्राप्त होने के उपरान्त .....८८ ..... अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

- चेकिंग का दिनांक । ११-०१-२०२३
- पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम। महाविद्यालय
- संस्थान का विवरण। मुमुक्षु विद्यालय
- संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। ०८ आइड
- परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। ०८ आइड
- चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण। ०३/३

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
१-	<u>ABC काशर स्टेटिंग</u>	<u>८५५५</u>	<u>०८</u>	<u>आईड</u>
	—	—	—	—
~	—	—	—	—

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होगी। भारतीय मानक व्यूरों के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक / भवन स्वामी का होगा।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- मुख्य अग्निशमन अधिकारी .....खुद .....
- उप निदेशक परिषेन्ट्रीय .....महाविद्यालय .....

*मुमुक्षु विद्यालय*  
संघिव अधिकारी .....खुद ..... अधिकारी .....खुद  
सी० एस० महाविद्यालय  
हरचन्दपुर खुद (एता)